



सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती- मुचिअ/

2022

## भर्ती सूचना

अध्यक्ष

सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में मिश्रित पद्धति के जरिए समावेशन द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विभाग प्रमुख) का पद भरना- संबंधी.

1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद दि. 27.5.2022 से रिक्त होगा. उसका वेतनमान रुपये 100000-260000 (पूर्व संशोधित रुपये 43200-66000) है. यह पद मिश्रित पद्धति के जरिए से महापत्तन प्राधिकरणों के अधिकारियों का समावेशन करके भरा जाना है, जिसके लिए आवश्यक पात्रता मानदंड **अनुलग्नक- I** में है.

2. चयन प्रक्रिया योग्यता के अनुसार होगी, जिसके लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों में समग्र प्रेडिंग "वेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.

3. दिनांक 19.11.2019 के मंत्रालय के पत्र के दिशा-निर्देशानुसार पदभोगी को शुरु में रुपये 100000-260000 (पूर्व संशोधित रुपये 43200-66000) के वेतनमान में विभाग प्रमुख के पद पर नियुक्त किया जायेगा और पद पर तीन साल की नियमित सेवा पूरी होने के बाद संबंधित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त उसे रुपये 120000-280000 (पूर्व संशोधित रुपये 51300-73000) के वेतन मान तक समुन्नत किया जाएगा. यह नोट किया जाय कि समय-समय पर मंत्रालय द्वारा निर्देशित किसी भी परिवर्तन को लागू किया जाएगा.

4.1 **अनुलग्नक- I** के अनुसार पद के लिए निर्धारित योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तों को धारण कर रहे सभी महापत्तन न्यासों के पात्र और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन **18.5.2022 से 17.6.2022** तक पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in> के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

4.2 उम्मीदवार को ओएपी में पहले से अपलोड किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट अपने प्रशासनिक पोर्ट के पास अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा. प्रशासनिक पत्तनों को दिनांक **4.7.2022** को या उससे पहले उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लिफाफे में भरकर लिफाफे पर "**मुंबई पत्तन प्राधिकरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए आवेदन**" इस प्रकार लिखकर अग्रेषित करने होंगे.

- (i) पिछले 5 वर्षों की (1.4.2016 से 31.3.2021 तक) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभागप्रमुख स्तर से कम नहीं ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;
- (ii) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शानेवाला विवरण जो मंत्रालय के दिनांक 1.2.2007 के पत्र के अनुसार उपाध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष/अवधि की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करे;
- (iii) संबंधित पद एवं वेतनमान के लिए सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित फोटोकॉपीयाँ तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र और वर्तमान तथा पिछले कार्य का अनुभव प्रमाणित करना आवश्यक है.
- (iv) संबंधित पोर्ट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.
- (v) आवेदक को इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया गया, तो उम्मीदवारी वापस नहीं ली जाएगी; तथा
- (vi) संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-II) के अनुसार संबंधित पोर्ट की सतर्कता और प्रशासनिक अनापत्तियाँ;
- (vii) दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ.
- (viii) अजा, अजजा तथा अपिव संवर्गों से संबंधित तथा आरक्षित पद पर नियुक्त हुए आवेदकों को उनके जाति प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए हैं या नहीं इसका उल्लेख उनके आवेदनों में करने के साथ-साथ आवेदन को जाति वैधता/सत्यापन प्रमाणपत्र संलग्न करना भी जरूरी है, अन्यथा आवेदन अपूर्ण समझा जाएगा.
- (ix) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा या मामूली दण्ड लगाया गया है तो ऐसे दण्ड की ओर बढता हुआ अनुशासनिक मामला आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन के साथ अग्रेषण प्राधिकारण द्वारा भेजा जा सकता है. पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 17.8.2010 की पत्र संख्या I-26/18/2010 पीई-I तथा दिनांक 20.1.2021 की पत्र सं. A-12023/2/2021- पीई-I के अनुसार सतर्कता रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में दी जानी है, जिसकी प्रति अनुलग्नक -III में संलग्न है.


4.3 पोर्ट द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने के मामले में मंत्रालय के दिनांक 26.9.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि उसका आवेदन पोर्ट द्वारा उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के **15 दिनों के भीतर तक** प्राप्त नहीं हुआ तो मंत्रालय द्वारा उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा. अतः महापत्तनों से अनुरोध है कि संलग्नकों के संपूर्ण सेट के साथ आवेदनों को 4.7.2022 को या उससे पहले अग्रेषित करें. 4.7.2022 के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

5. पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 26.9.2019 की परिपत्र सं. I-26/25/2013 पीई-I के संदर्भ में पात्रता मानदण्ड के लिए निर्णायक तिथि अर्थात् **27.5.2022** होगी.

6. मंत्रालय के दिनांक 26.9.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार महा पत्तन प्राधिकरणों में विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में, पोर्ट अधिकारी यदि सेवा चयन समिति द्वारा अपने चयन के बाद पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो वह भविष्य में दो वर्षों के लिए सभी महापत्तन प्राधिकरणों में विभाग प्रमुख पद के चयन के मामले में स्वयं पर रोक के लिए उत्तरदायी होगा.

7. अपूर्ण आवेदन या नियत तिथी के पश्चात प्राप्त आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीय,



सचिव

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

संलग्न. यथोक्त.

-----  
सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती- मुचिअ/ 1857

✓ प्रतिलिपि संलग्न दस्तावेजों के साथ सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय को सूचनार्थ अग्रेषित. परिपत्रक की सॉफ्ट कॉपी पहले ही ई-मेल पता [pravin.s@nic.in](mailto:pravin.s@nic.in) या [web-ship@gov.in](mailto:web-ship@gov.in) पर अग्रेषित की गई है.

(संदर्भ : आपका दिनांक 17.6.2014 का पत्र सं.एफ.सं.1-26/9/2013-पीई-1 और दिनांक 19.1.2021 का पत्र सं.ए-12023/12/2014-पीई -1)

संलग्न: यथोक्त

13 मई 2022.



सचिव

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

**चिकित्सा विभाग**

**अनुलग्नक -I**

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	पद चयन या गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षक की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पद्धति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा )	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	<b>मुख्य चिकित्सा अधिकारी</b>	1	श्रेणी - I	रुपये 100000- 260000 (केंद्र सरकार के अनुमोदन के साथ तीन साल की नियमित सेवा के बाद वेतनमान को रुपये 120000- 280000 के वेतन के स्तर तक बढ़ाया जाएगा.)	चयन	50	<b>अनिवार्य :</b> (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री  (ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री  (iii) किसी अस्पताल में 16 वर्षों का पद योग्यता अनुभव	ए) नहीं बी) हाँ सी) नहीं	लागू नहीं	मिश्रित पद्धति के जरिए <b>विलयन द्वारा</b> अन्यथा <b>प्रतिनियुक्ति द्वारा</b> और दोनों न होने पर <b>सीधी भर्ती से</b>	सम्मिलित पद्धति से आमेलन के लिए, किसी महा पत्तन न्यास के चिकित्सा विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित 80000-220000 रु के वेतनमान में पद धारित करने वाले अधिकारी पात्र होंगे.  प्रतिनियुक्ति के लिये समान पदधारी अधिकारी अथवा 100000-260000 के वेतनमान में चिकित्सा विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा समान पदधारी जिसने उसी ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा 80000-220000 और इससे अधिक वेतनमान में वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी और समान विशेषज्ञ पदधारी अधिकारी जिसने सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में	

												<p>(महा पत्तन न्यास के अलावा ) 5 वर्षों की नियमित सेवा की हो वह पात्र होगा.</p> <p>चयन गुणवत्ता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में सम्पूर्ण सेवा काल में बेच मार्क "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -----

पद -----

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2016 से 31.3.2021) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है.

उपाध्यक्ष/ अध्यक्ष के हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

**मुंबई पत्तन प्राधिकरण**  
**MUMBAI PORT AUTHORITY**

**अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.**

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	:	
6.	अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है	:	
7.	संशोधित वेतनमान	:	
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है	:	हाँ/नहीं
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	
10.	धारण किए गए पद (पिछले दस वर्षों के दौरान)	:	

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक

11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण(*).	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हा, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकारयत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.	:	

तिथि :

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

15.	यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हां, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)	:	
16.	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हां तो उसका परिणाम क्या है.(*)	:	

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि :

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(\* ) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.